# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 75/2017

**प्रार्थी** **बनाम अप्रार्थीगणः—**

1. श्री हेमसिंह पुत्र श्री अमरसिंह
2. श्री बाघसिंह पुत्र श्री अमरसिंह
3. श्री नारायणसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जातिगण रजपूत निवासीगण मण्डली खुर्द तहसील पाली जिला पाली, (राजस्थान)

1. श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह
2. श्री खुमानसिंह पुत्र श्री डूंगरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मण्डली खुर्द, तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेश:— दिनांक 28.03.2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 207 बीघा भूमि है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 207 की भूमि में राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 208, 208/1, 208/2 में से होकर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना—पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी किया गया तथा आवेदित भूमि में संबन्ध में तहसीलदार, पाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई।

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नंबर 207 के खातेदार जरूर है एवं अन्य शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त आवेदन रास्ते बाबत खसरा नंबर 208, 208/1, 208/2 की जोत में नया मार्ग लेने बाबत आवेदन पेश किया है जो गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया ह। कारण कि प्रार्थीगण के खसरा नंबर 207 में आने—जाने हेतु पूर्व से प्रथम रास्ता चला आ रहा है जो रास्ता गांव से खसरा नंबर 188 जो आम रास्ता है उक्त आम रास्ता हेमावास बांध की नहर से खसरा नंबर 207 से मिलता है तथा उक्त रास्ता नहर के पास में करीबन् 100 फीट चौड़ा है जो नहर एवं आम रास्ते के लिए, खेतों में आने—जाने के लिए पूर्व से ही चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण एवं प्रार्थी के पूर्वज भी इसी रास्ते से ही खसरा नंबर 207 में आते—जाते रहे है एवं प्रार्थी का उक्त खसरा इसी आम रास्ते पर आया हुआ है। खसरा नंबर 207 में आने—जाने हेतू दूसरा रास्ता भी है जो गांव से खसरा नंबर 202 जो आम रास्ता है से होकर खसरा नंबर 203 के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (62) जाता है एवं उक्त आम रास्ता खसरा नंबर 213 से 217 के पास होते हुए खसरा नंबर 207 में जाता है। उक्त रास्ता भी प्रार्थीगण के पूर्वज एवं प्रार्थी उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में खसरा नंबर 208, 208/1 व 208/2 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता नया रास्ता प्राप्त

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

करने हेतु आवेदन पेश किया है जो अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 208/2 खातेदारी जमीन है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जो बहुत ही किमती जमीन है जिसके पड़ौसी खसरा नंबर 90/1 में यू0आई0टी0 द्वारा पेट्रोल पंप हेतु निलामी में प्रति मीटर 6561/– रूपये में निलामी हुई है तथा खसरा नंबर 208/1 जो खातेदारी नहर का खालीया है जो खालीया प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी है तथा स्वयं द्वारा अपने निजी लाखों रूपये लगा कर तैयार किया है अगर उस खालीये से रास्ते में तब्दील हो गया तो अप्रार्थीगण को हमेशा हमेशा के लिए नहर की सिंचाई करने के लिए बाधा उत्पन्न हो जायेगी एवं अप्रार्थीगण के कृषि उपज का एकमात्र जरिया खत्म हो जायेगा। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता अप्रार्थी को आर्थिक नुक्शान पहुंचाने एवं हैरान व परेशान करने के लिए रास्ता मांगा है जबकि प्रार्थीगण को इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण ने गांव में यह भी सुना है कि उक्त रास्ता लेकर गैर कृषि उपयोग आवासीय प्लोट काटकर व्यवसाय करेगा इससे भी साफ जाहिर है कि कृषि उपयोग हेतु प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण ने दिनांक 15–03–2013 को श्रीमान् तहसीलदार साहब पाली को नये रास्ते बाबत आवेदन पेश किया था जिस पर हल्का पटवारी मण्डलीखुर्द ने रिपोर्ट पेश की उक्त नये रास्ते से कभी भी आना–जाना नहीं हुआ है न ही मौके पर रास्त की इस रिपोर्ट बाबत सहायक अभियंता ने भी पटवारी मण्डलीखुर्द से रास्ते बाबत मांग की गई उक्त पटवारी रिपोर्ट साथ संलग्न पेश है एवं उक्त रास्ते बाबत प्रार्थीगण प्रार्थीगण जबरन तौर तरीके से रास्ता लेने हेतु पूर्व में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध मारपीट की एवं जान से मारने की धमकियां दी जिस कारण से भी प्रार्थीगण को पुलिस थाना सदर ने दिनांक 31–01–2011 को शांति बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 107, 116(3) जाप्ता फौजदारी के तहत पाबंद किया गया जिसकी रिपोर्ट भी साथ संलग्न प्रस्तुत है। जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारीज फरमावें।

4. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच कर तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/18/869 दिनांक 20–06–2018 के अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार, पाली की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 207 रकबा 15.00 बीघा नहरी अव्वल जो रेकर्ड मुताबिक हेमसिंह बाघासिंह नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह कौम रजपूत सा0 देह के खातेदारी हक में है। खसरा नंबर 207 की भूमि के तीन तरफ खातेदारी भूमि व एक ओर नहर होने से खसरा नंबर 207 की भूमि के पास कोई रेकर्ड आम रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 207 की भूमि व इसके नजदीकी आम रास्ता नेशनल हाईवे पाली से जोधपुर बाईपास सड़क के बीच में चकबंदी बंदोबस्त मूल खसरा नंबर 208 की भूमि है। उक्त मुल खसरा नंबर 208 के तरमीम खसरे अलग होकर खसरा नंबर 208, 208/2 बाद चकबंदी के नामां0 संख्या 361 आपसी पारिवारिक समझौता बंटवाड़ा के तहत बने है। जिसका नजरी नक्शा नामां0 संख्या 361 की पुश्त पर दर्ज नहीं है तथा न ही नक्शा लट्ठा में खसरा नंबर 208, 208/2 की तरमीम दर्ज है। इस कारण खसरा नंबर 208 व 208/1 खालीया के पास प्रस्तावित रास्ता भूमि किस खसरे की है कोई स्पष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि खसरा नंबर 208 व 208/2 दोनों अलग अलग है तथा मौके पर दोनों खसरों की बीच माठ नहीं होकर शामिल ही है। खसरा नंबर 208/2 में 208/2 व 208 के खातेदारान् को सुनने के बाद ही स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा नंबर 208/2 की है या 208 की। रेकर्ड मुताबिक खसरा नंबर 208 खुमानसिंह पुत्र डूंगरसिंह व 208/2 डूंगरसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत सा0 मण्डली के खाते दर्ज है।

5. वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित आने के लिए बार–2 आवाजें दिलवाई गई परंतु न तो प्रार्थीगण एवं न ही उनके द्वारा नियुक्त

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता ही न्यायालय में उपस्थित हुए। इस पर बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 208, 208/1, 208/2 से रास्ता की मांग की गई है। रास्ता जरूरी हो तो दिया जा सकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आने के लिए नहर के पास से रास्ता है। प्रार्थी इसलिए रास्ता लेना चाहता है कि खसरा नंबर 90/1 में यू.आई.टी. के ऑक्शन से पेट्रोल पंप खोला है और अब प्लॉट काटना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा में खसरा नंबर 208/2 ही दर्ज है खसरा नंबर 208/1 व 208 का इंद्राज किया हुआ नहीं है। तहसीलदार, पाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित है कि "मुल खसरा नंबर 208 के तरमीम खसरे अलग होकर खसरा नंबर 208, 208/2 बाद चकबंदी के नामां0 संख्या 361 आपसी पारिवारिक समझौता बंटवाड़ा के तहत बने है। जिसका नजरी नक्शा नामां0 संख्या 361 की पुश्त पर दर्ज नहीं है तथा न ही नक्शा लट्ठा में खसरा नंबर 208, 208/2 की तरमीम दर्ज है। इस कारण खसरा नंबर 208 व 208/1 खालीया के पास प्रस्तावित रास्ता भूमि किस खसरे की है कोई स्पष्ट नहीं हो सकता है"। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जिन खसरा नंबरों से रास्ता की मांग की गई है उनकी तरमीम की हुई नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा जवाब में दर्शाये गये तथ्यों "प्रार्थीगण के खसरा नंबर 207 में आने–जाने हेतु पूर्व से प्रथम रास्ता चला आ रहा है जो रास्ता गांव से खसरा नंबर 188 जो आम रास्ता है उक्त आम रास्ता हेमावास बांध की नहर से खसरा नंबर 207 से मिलता है तथा उक्त रास्ता नहर के पास में करीबन् 100 फीट चौड़ा है जो नहर एवं आम रास्ते के लिए, खेतों में आने–जाने के लिए पूर्व से ही चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण एवं प्रार्थी के पूर्वज भी इसी रास्ते से ही खसरा नंबर 207 में आते–जाते रहे है एवं प्रार्थी का उक्त खसरा इसी आम रास्ते पर आया हुआ है। खसरा नंबर 207 में आने–जाने हेतू दूसरा रास्ता भी है जो गांव से खसरा नंबर 202 जो आम रास्ता है से होकर खसरा नंबर 203 के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (62) जाता है एवं उक्त आम रास्ता खसरा नंबर 213 से 217 के पास होते हुए खसरा नंबर 207 में जाता है। उक्त रास्ता भी प्रार्थीगण के पूर्वज एवं प्रार्थी उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है।" के प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थी सुविधा मात्र हेतु रास्ते की मांग की गई है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner